5.4.22 बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बाद भी ना तो अपीलांट अधिवक्ता और ना ही स्वंय अपीलांट पक्षकार उपस्थित आये। अतः पत्रावली अदम-हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती हो पत्रावली कोतल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर, बाद जाब्ता, दाखिल दफ्तर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)